

तारीख हुक्म

31/8/24

वक्तू उषा

वकील प्राथी द्वारा प्रा. पत्र आदेशों द्वारा 212/24/24
 हेतु समझ चाहे तो दिया जाता है कावली आदेशों के
 27/9/24 को पेश है
 (स. 15)

27/9/24

पगावली पेश हुई

पगावली का आवलोक किया गया। चूंकि प्राथी का प्रत्येक
 पत्र अलग तालीम में रख दिया है। प्रत्येक पत्र रख दिया
 है। इनके अलावा प्रा. पत्र में कोई कार्यवाही अथवा नतीजा अथवा
 प्रकाशित होने के प्राथी का प्रा. पत्र रख दिया किना जा रहा है। पगावली
 केवल अदालत के नंबर के कम है। पगावली केवल अदालत के नंबर
 के कम है। वह तालीम प्रा. पत्र अथवा अदालत के नंबर के कम है।
 (स. 15)